न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—16 / 2024 (2024 / 67) प्रार्थना पत्र

अनवान

1 केशी पुत्री लच्छु रावत निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2 तुलसी पुत्री लच्छु रावत निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3 पन्नु पुत्री लच्छु रावत निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4 बालु पिता लच्छु रावत निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5 रोशनदेवी पत्नि लच्छु रावत निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1 कस्तुरी पत्नि मांगु रावत निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2 शैतानसिंह पिता लाल रावत निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3 कालु पिता डालु रावत निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4 आसु पिता छोगा गुर्जर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 06.06.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 18 में अंकित आराजी संख्या 1447 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1448 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1454 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 2424 / 1452 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 2426 / 1453 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 2427 / 1732 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 2430 / 1734 रकबा 0.10 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.89 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 08.01.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त